अहकाम जो
हुक्म की ता
में जारी

न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ।

पीठासीन अधिकारी :– प्रकाश चन्द्र चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 01 / 2017

अनवान:– थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ जं.

प्रार्थी

बनाम

1 श्री अजय कुमार पुत्र राम लाल अरोड़ा सा. गंगानगर हाल सै0नं0 6 हनुमानगढ ज.।

अप्रार्थी

मुकदमा अर्न्तगत धारा 6 ए ई0सी एक्ट बाबत गॅस सिलेंण्डर के निस्तारण

उपस्थितः– 1 श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अधिवक्ता।
2 अप्रार्थी अनुपस्थित।

–ःनिर्णयः–

दिनांकः–11.01.2018

थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ जं0 द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया । जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 26.5.17 को दौराने गस्त बस स्टैण्ड हनुमानगढजं0 पर सूचना मिली कि शिवम आटो सर्विस दुकान पर घरेलू/अनुदानित गैस सिलेण्डर से गैस रिफिलिंग मोटर के माध्यम से कार में गैस भरी जा रही है। मौके पर पहुंचे तो शिवम आटो सर्विस दुकान पर घरेलू/अनुदानित गैस सिलेण्डर सें गैस रिफिलिंग मोटर के माध्यम से गैर भरी जा रही हे। कार एल्टो जिसका नम्बर आरजे07 सीए 6957 है कार की डिग्गी में रखी गैस किट जो काले रंग की एवं युनिटेक्स कम्पनी की है जो एक अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर से जुड़ी है पाया गया दुकान पर उपस्थित व्यक्ति ने अपना नाम अजय कुमार बताया व शिवम आटो सर्विस दुकान का मालिक होना बताया। अजय कुमार से कार में लगी गैस किट में गैस भरने से संबंधित लाईसेंस/परमिट/अनुज्ञा पत्र बाबत पूछा तो उसने अपने पास होना नहीं बताया। अजय कुमार द्वारा बिना लाईसेंस/परमिट/अनुज्ञा पत्र के कार की किट में घरेलू गैस सिलेण्डरों से गैर भरना जुर्म धारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के 3(ग), 4–1(क)(ख) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध पाये जाने पर दुकान के अन्दर दो गैस रिफलिंग मोटर एवं पांच घरेलू गैस सिलेण्डर भारत कम्पनी के मिले। जिसमें एक सिलेण्डर 245971 में 2 किलो 650 ग्राम, 593179 एस में 400 ग्राम,627281 बी 550 ग्राम,077789 में 14.200 किलो, 348941 में 1.750 किलो, एवं 24165 जो खाली है। मिले सिलेण्डरों में पाई गयी गैस की मात्रा के आधार पर पता चलता है कि इन्हीं गैस सिलेण्डरों के माध्यम से कार में रखी गैस किट में गैस भरने का कार्य किया जाता है। कार व गैस सिलेण्डरो को वजह सबत लिया गया। प्रकरण प्रस्तुत कर जब्त शुद्धा गैस सिलेण्डरों का नियमानुसार निस्तारण करने का निवेदन किया गया।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी पर नोटिस की तामील होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित

नहीं आने पर उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रकरण प्रस्तुत होने पर जब्त शुद्धा सिलेण्डरों को पुलिस थाना हनुमानगढ जं. से प्राप्त कर अपनी अभिरक्षा में लेकर नियमानुसार सुरक्षित स्थान पर रखने के आदेश दिनांक 31.5.17 को जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को दिये जा चुके हैं।

राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी। जिन्होंने अपनी बहस में तर्क किया कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग व्यवसायिक रूप में किया है इसलिए जब्त शुद्धा सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसायिक संस्थान पर घरेलू उपयोग के गैस सिलेण्डर का उपयोग किया गया है। फर्द मौका व जब्ती दिनांक 26.5.2017 के अनुसार सिलेण्डर 245971 में 2 किलो 650 ग्राम, 593179 एस में 400 ग्राम,627281 बी 550 ग्राम, 077789 में 14.200 किलो, 348941 में 1.750 किलो, एवं 24165 को जब्त किया गया । अप्रार्थी बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आया जिससे सिद्ध होता है कि अप्रार्थी का यह कृत्य उसे स्वीकार है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के क्लाज 3(सी) का उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

अतः अप्रार्थी से जब्त शुद्धा घरेलू उपयोग का सिलेण्डर 245971 में 2 किलो 650 ग्राम, 593179 एस में 400 ग्राम, 627281 बी 550 ग्राम, 077789 में 14.200 किलो, 348941 में 1.750 किलो, एवं 24165 को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को आदेश दिये जाते हैं कि जब्त शुद्धा उक्त सिलेण्डर मय गैस को यदि अद्यदिनांक तक पुलिस थाना हनुमानगढ जं. से प्राप्त नहीं किया है तो अब प्राप्त कर नियमानुसार राशि राजकोष में जमा करावें। जब्त शुद्धा कार मारूती एल्टो आरजे 07 सीए 1957 का निस्तारण सक्षम न्यायालय के निर्णय पर आधारित रहेगा । निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ एवं थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ जं. को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(प्रकाश चन्द्र चौधरी)
अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़